



अंत्योदय-सरल



हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड

श्रमिक की सेवा के दौरान या अन्य कारण से अंपगता होने पर वित्तीय सहायता

पात्रता :

- श्रमिक का अधिकतम वेतन सीमा 25,000 रु0 तक निर्धारित की गई है।
- इस योजना के तहत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नहीं है।

* अंपगता प्रमाण-पत्र की जारी तिथि से एक वर्ष तक आवेदन-पत्र जमा करवाना अनिवार्य है।

उपलब्ध करवाये जाने लाभ :

- ❖ 50 प्रतिशत अंपगता तक श्रमिक को 1 लाख रु0 तक की वित्तीय सहायता।
- ❖ 50 प्रतिशत से अधिक की अंपगता होने पर 1 लाख पचास हजार रु0 तक की वित्तीय सहायता।

आवश्यक दस्तावेज :

- नियोक्ता प्रमाण-पत्र
- कर्मचारी की मजदूरी पर्ची (पूर्व मास)
- अंपगता का प्रमाण-पत्र
- शपथ-पत्र/वचनबद्धता

सेवा के लिए फीसें :

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रु0 10/-	रु0 10/-

सेवा का अधिकार समय सीमा: 90 दिन